>

Title: Need to implement reservation in recruitment process in AIIMS.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): एम्स में जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें कुछ विशेष जाति वर्ग की एक लॉबी है। इस लॉबी के अंतर्गत जो डाक्टर हैं, उनका व्यवहार गरीबों एवं देश के दूसरे हिस्से से आने वाले ग्रामीण इलाके के लोगों के प्रति नैतिक दृष्टि से खराब है। यह वर्ग गरीबों का इलाज भी सामंतवादी व्यवस्था की तरह करता है। रोगी की आर्थिक दिक्कतों एवं उनकी स्थितियों से यह लॉबी पूरी तरह अनभिज्ञ है। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद दिए गए सुझावों में एम्स में आरक्षण व्यवस्था लागू की। इसके तहत पदों की संख्या भी बढ़ाई गई जिससे उनमें कमजोर वर्ग के डाक्टरों को रखा जा सके। संसद में जोरदार आवाज के बाद सामाजिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से एम्स में पहली बार आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। परन्तु सामाजिक न्याय के विरोधियों द्वारा नया षडयंत्र रचकर नियुक्तियों में आरक्षण का विरोध कर रोक लगा दी गई। इस संबंध में भारत सरकार ने भी आनन-फानन में नौकरशाहों की एक पांच सदस्यीय समिति बना दी। इस समिति में आरक्षण के अंतर्गत आने वाले वर्ग का कोई भी सदस्य नहीं है। इस मौजूदा समिति से यह कतई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे निष्पक्ष रूप से सुझाव देगी। एम्स में आरक्षण दिए जाने के मामले में संसदीय स्वास्थ्य समिति में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा गहनता से विचार हो चुका है। उसके बाद भी समिति का गठन करना समझ से परे है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहती हैं, वह बताइए। आप सरकार से क्या मांग कर रही हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : याद कीजिए जब से आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया है, तब से देश समावेशी विकास के रास्ते पर है। अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में एम्स की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन करते हुए नियुक्ति की कार्यवाही सख्ती से लागू की जाए तथा इसके सामने आने वाले स्वार्थी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिल सके।